कार्यालय
अधिष्ठाता, छात्र मामले
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर।

सूचना

पुरूष छात्रावासों में आवासित समस्त छात्रों को सूचित किया जाता है कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि कुछ छात्र रात्रि 10 बजे के बाद भी मुख्य गेट से विश्वविद्यालय परिसर में संबंधित छात्रावास अधीक्षक के बिना पूर्व अनुमति से बाहर से आ रहें है। अतएव कोविड–19 प्रोटोकाल एवं छात्र के स्वंय की सुरक्षा के दृष्टिगत सभी पुरूष छात्रों को निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय परिसर में बाहर से रात्रि 10 के बाद मुख्य गेट से संबंधित छात्रावास अधीक्षक के बिना पूर्व अनुमति के आना या जाना तत्काल प्रभाव से पूर्णतया वर्जित रहेगा। यदि किसी छात्र को आवश्यक कार्यवश रात्रि 10 बजे के बाद विश्वविद्यालय परिसर से कहीं आना या जाना है तो संबंधित छात्रावास अधीक्षक से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही बाहर आ जा सकते है। यदि कोई पुरूष छात्र उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जायेगा तो उसके विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही (जैसे–छात्रावास से निष्कासन किया जाना) की जायेगी।

उक्त के आलोक में सभी पुरूष छात्रों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि रात्रि 10 बजे के बाद छात्रावास परिसर से रात्रि में अनावश्यक रूप से बाहर न जाय तथा रात्रि में अपने छात्रावास में उपस्थित रहकर अपना पठन पाठन के कार्यो पर विशेष ध्यान दें।

(प्रो0 राकेश कुमार)
अधिष्ठाता, छात्र मामले

पत्रांक सं0 : मा0प्रौ0वि0 / अधि0छा0मा0 / 334 / 2021 दिनांक : 23 सितम्बर, 2021

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. नियन्ता।
2. सह अधिष्ठाता, छात्रावास मामले।
3. कुलसचिव
4. समस्त पुरूष छात्रावास अधीक्षक को संबंधित सूचना पट्ट पर चस्पा कराने एवं उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।
5. प्रभारी सुरक्षा को इस आशय से कि उक्त का तत्काल प्रभाव से कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।
6. प्रभारी वेबसाईट को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. वै0स0 कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।

23.09.2021

(प्रो0 राकेश कुमार)
अधिष्ठाता, छात्र मामले